जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 07.07.2024**

थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 356/24 धारा 74 / 351 (2) बी0एन0एस0 में स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 07.07.2024 को वादिनी द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 06.07.2024 को सांय करीब 04.00 बजे वादिनी को सीकेआई चौराहे पर स्थित पंकज स्टूडियों पर काम करने के लिये सिटी हलचल के पत्रकार राजपाल चौहान पुत्र होरी सिंह निवासी मौहल्ला शेखपुरा निकट सीकेआई चौक कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने बुलाया था। इसी दौरान राजपाल उपरोक्त ने वादिनी को गलत नियत से पकड़ लिया तथा अश्लील हरकतें करने लगा एवं वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 356/24 धारा 74 / 351 (2) बी0एन0एस0 बनाम राजपाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 07.07.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर मुकदमें में शीघ्र कार्यवाही कराने के नाम पर अनुचित धन की मांग करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें फोन कॉल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न मोबाइल नंबरो से वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत कराये गये अभियोग में कार्यवाही कराने को लेकर स्वंय को पुलिस विभाग में कार्यरत् होना तथा पुलिस कार्यालय, बिजनौर में तैनाती बताकर 5,000 /- रुपये की अनुचित धन की मांग की जा रही थी। इस सम्बंध में दिनांक 04.07.2024 को वादिनी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 619/24 धारा 318(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त जयसिंह पुत्र जगदीश निवासी टिकरिया थाना महोबा कैण्ट जनपद महोबा का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 619/24 धारा 318(4) बी0एन0एस0 में प्रकाश में आये अभियुक्त जयसिंह पुत्र जगदीश निवासी टिकरिया थाना महोबा कैण्ट जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन (oppo व vivo कम्पनी) बरामद किये गये है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा UPCOP एप्प एवं अन्य स्त्रोत से एफ0आई0आर की पी0डी0एफ डाउनलोड करके पीडित/वादी (मुख्यतः महिला वादी) से सम्पर्क कर खुद को सम्बंधित जनपद के पुलिस विभाग में कार्यरत (थाना प्रभारी / विवेचक आदि) होना बताकर मुकदमें में शीघ्र कार्यवाही कराने की बात कहकर ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से रूपयों की मांग की जाती है। पीडित / वादी द्वारा रुपये भेज देने के बाद हम लोग उक्त धनराशि को अन्य बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते है। इसके अतिरिक्त हम लोग सीधे – साधे व्यक्तियों को लॉटरी आदि जीतने का लालच देकर उनसे कुछ धनराशि फीस के नाम पर अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा लेते है। हमारे द्वारा पीडित/वादी से बात करते समय अपनी आवाज को Voice Changer App के माध्यम से बदल दिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जयसिंह पुत्र जगदीश निवासी टिकरिया थाना महोबा कैण्ट जनपद महोबा

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन (oppo व vivo कम्पनी)

पुलिस टीम का विवरण –

1.उ0नि0 श्री दीपक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.आरक्षी सुजीत तोमर सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर
2.कां0 सन्दीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.कां0 अवधेश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बिजनौर पुलिस की समस्त जनपदवासियों से अपील

सभी जनपदवासियों को सूचित किया जाता है कि एक गैंग सक्रिय है, जिसके द्वारा UP COP एवं अन्य पोर्टल से एफ0आई0आर की पी0डी0एफ डाउनलोड करके पीडित से सम्पर्क कर मुकदमे में शीघ्र कार्यवाही कराने की बात कहकर रूपयों की अनुचित मांग की जाती है। इस प्रकार की घटना अन्य जनपदों में भी होना पायी गयी है। बिजनौर पुलिस सभी जनपदवासियों से अपील करती है कि यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस के नाम पर पैसो की मांग करता है तो यह पूर्णतः अवैधानिक है तथा ऐसे प्रकरण के सम्बंध में आप तत्काल पुलिस कार्यालय आकर अपनी शिकायत दर्ज कराकर एफ0आई0आर पंजीकृत करायें।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 07.07.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये घरेलू सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.06.2024 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला जाटान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 07.06.2024 की रात्रि में अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की दुकान से 04 गैस सिलेन्डर, एक बैटरा व इन्वर्टर तथा 7,000 /- रुपये की नगदी चोरी कर ली। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 485/24 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.वसीम उर्फ भूरा पुत्र शमीम निवासी बकली फाटक बकली कॉलोनी राजो वाली फाटक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.अजीम पुत्र इरफान निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने तथा चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.वसीम उर्फ भूरा पुत्र शमीम निवासी बकली फाटक बकली कॉलोनी राजो वाली फाटक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.अजीम पुत्र इरफान निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किए गए 02 घरेलु गैस सिलेण्डर व एक बैटरा बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.वसीम उर्फ भूरा पुत्र शमीम निवासी बकली फाटक बकली कॉलोनी राजो वाली फाटक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.अजीम पुत्र इरफान निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

02 घरेलु गैस सिलेण्डर

01 बैटरा

अभियुक्त वसीम उर्फ भूरा का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 987/2016 धारा 380/411/454 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 698/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 55/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 485/2024 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त अजीम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 1008/2015 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 39/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 485/2024 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 हरिओम गौतम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 प्रशिक्षु राघवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. कां0 904 विमल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. कां0 2041 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनाँक 07.07.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गए 07 मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.07.2024 को वादी श्री मोनू कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी मौ0 रविदास नगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा मेरा व मेरे पडोस मे रहने वाले कुल 06 व्यक्तियों के मोबाइल फोन चोरी कर लिये गए। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 0622/24 धारा 305(ए) बीएनएस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त गौरव उर्फ गोलू पुत्र रामकुमार निवासी मौहल्ला नई बस्ती बी-23 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाहीः-

जनपद मे अपराधो की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गौरव उर्फ गोलू पुत्र रामकुमार निवासी मौहल्ला नई बस्ती बी-23 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त अभियोग से संबंधित चोरी किये गए 07 मोबाइल फोन बरामद किये गए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(1) बीएनएस0 की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव उर्फ गोलू पुत्र रामकुमार निवासी मौहल्ला नई बस्ती बी-23 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1. आईएमईआई नं0 867325066924541 माडल रेडमी 10ए
2. आईएमईआई नं0 861083057946166 माडल रेडमी नोट 11 टी
3. आईएमईआई नं0 356710464054067 नोकिया कीपैड
4. आईएमईआई नं0 86847403478925 ओप्पो
5. आईएमईआई नं0 869066047454013 माडल ओप्पो एफ 9 प्रो
6. आईएमईआई नं0 861797072102071 माडल वनप्लस नोर्ड 3
7. आईएमईआई नं0 356770916488495 माडल सैमसंग ए 12

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री सुमित राठी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.का0 2502 विशाल मलिक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 07.07.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 619/24 धारा 318(4) बी0एन0एस0 से सम्बंधित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन सहित पुलिस हिरासत में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें फोन कॉल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न मोबाइल नंबरो से वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत कराये गये अभियोग में कार्यवाही कराने को लेकर स्वंय को पुलिस विभाग में कार्यरत् होना तथा पुलिस कार्यालय, बिजनौर में तैनाती बताकर 5,000 /- रुपये की अनुचित धन की मांग की जा रही थी। इस सम्बंध में दिनांक 04.07.2024 को वादिनी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 619/24 धारा 318(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त जयसिंह पुत्र जगदीश निवासी टिकरिया थाना महोबा कैण्ट जनपद महोबा का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 619/24 धारा 318(4) बी0एन0एस0 में प्रकाश में आये अभियुक्त जयसिंह पुत्र जगदीश निवासी टिकरिया थाना महोबा कैण्ट जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन (oppo व vivo कम्पनी) बरामद किये गये है। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा ही है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता –

जयसिंह पुत्र जगदीश निवासी टिकरिया थाना महोबा कैण्ट जनपद महोबा

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन (oppo व vivo कम्पनी)

पुलिस टीम का विवरण –

1.उ0नि0 श्री दीपक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 सन्दीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 अवधेश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 07.07.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 621/2024 धारा 376(3) भादवि व धारा 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.07.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि विवेक पुत्र अजय निवासी ग्राम बिसाठ नवादा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर का फरवरी–2024 से वादिनी के घर पर आना–जाना था। इसी दौरान अभियुक्त विवेक द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ गलत काम किया गया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 621/2024 धारा 376 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग से धारा 376 भादवि लोप कर धारा 376(3) भादवि व 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 621/2024 धारा 376(3) भादवि व धारा 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त विवेक पुत्र अजय निवासी ग्राम बिसाठ नवादा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विवेक पुत्र अजय निवासी ग्राम बिसाठ नवादा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री उदयप्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 608 सनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना बढापुर **दिनांक 07.07.2024**

थाना बढापुर पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.07.2024 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त करनैल सिंह पुत्र लाभ सिंह निवासी ग्राम कुआखेड़ा खदरी थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

करनैल सिंह पुत्र लाभ सिंह निवासी ग्राम कुआखेड़ा खदरी थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 धर्वेन्द्र शर्मा थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3.का0 2451 नौशाद अली थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनाँक 07.07.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने अवैध जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध जुआ/सट्टा आदि में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध सट्टे की खाईबाडी करते अभियुक्त अजय पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम पैजनिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक पैन,एक कॉपी,एक सट्टा पर्ची व 670/- रुपये नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 203/2024 धारा 13G जुआ अधि0 बनाम अजय उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अजय पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम पैजनिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

एक पैन,एक कॉपी,एक सट्टा पर्ची व 670/- रुपये नगदी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 देवानन्द सैनी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.हो0गा0 1551 खूब सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना नजीबाबाद दिनॉक 07.07.2024

थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलीपुरा में मालन नदी का पानी ग्रामवासियों के घरों में घुस जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा बाढ राहत कम्पनी पी0ए0सी0 के सहयोग से सभी 16 लोगो को सकुशल रेस्क्यू किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने–अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत पहाडी क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा से नदियों के बढते जलस्तर के दृष्टिगत आमजनमानस को जागरूक करने व पानी में फंसे लोगों की सहायता करने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 06.07.2024 को समय करीब 18.00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत मालन नदी का जलस्तर अचानक बढ जाने के कारण ग्राम अलीपुरा में लोगो के घरों पानी घुस गया, जिस कारण वंहा लोग अपने घरो में फंसे रह गये। स्थानीय पुलिस द्वारा 23 बटालियन पीएसी बाढ राहत कम्पनी के सहयोग से तत्काल मौके पर पॅहुचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर त्वरित कार्यवाही करते हुये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तथा बाढ में फंसे सभी 16 लोगो को सकुशल रेस्क्यू कर निकाला गया। बचाये गये सभी लोगो को सुरक्षित स्थान पर पहुॅचाया गया है।

<u>जिनका विवरण निम्नवत है–</u> 1.शकीला पत्नी नफीस 2.नीगत पत्नी शावेश 3.नाजिया पत्नी राहत 4. राहीमीन पुत्री राहत 5.यासमीन पत्नी मौ0 जरीफ 6.मौ0 समीर पुत्र मौ0 जरीफ 7.उमेमा परवीन पुत्री मौ0 जरीफ 8. राहत पुत्र बदरूद्दीन 9.सावेज पुत्र नफीस 10.नफीस पुत्र मौ0 हनीफ 11.मौ0 आरीस पुत्र मौ0 सुल्तान 12. मौ0 सुल्तान पुत्र अब्दुल वाहिद 13.सुफीया परवीन पत्नी सुल्तान 14.अनशा पुत्री सुल्तान 15.अनाया पुत्री सुल्तान 16.अरसीन पुत्री सुल्तान निवासीगण अबू कॉलोनी उर्फ अलीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

<u>रेस्क्यू करने वाली टीम–</u>

1.व0उ0नि0 श्री ईलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 श्री जोगेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.का0 1231 सुभाष चन्द्र थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5.का0 1572 शादाब मलिक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6.का0 2004 सौरभ थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7.का0 अमजद खान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
8.का0 1159 रोहित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
9.का0चा0 राजीव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर